न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 229/2025(GCMS : 2025/419)

लवप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति सैनी सिख उम्र 27 वर्ष निवासी चक 20 बीबी द्वितीय तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **जयदीप सिंह** पुत्र श्री गुलाब सिंह
2. **इकबाल सिंह** पुत्र श्री रणजीत सिंह
3. **मनप्रीत सिंह** पुत्र श्री गुरविन्द्र सिंह
4. **गुरप्रीत सिंह** पुत्र श्री रणजीत सिंह

जाति सैनी सिख निवासीयान 20 बीबी द्वितीय तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.03.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी एवं अप्रार्थी के अधिक्ता श्री शुभम पारीक उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 63/2023 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व वाद संख्या 89/2023 अन्तर्गत धारा 53–88ए–91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवानी लवप्रीत सिंह बनाम इकबाल सिंह वगै. को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिली करने की प्रार्थना की थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि अब उभयपक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है, इसके पश्चात भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण को निर्णित नही किया जा रहा है। इसलिए वे उक्त प्रकरणों को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से अन्तरित कर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहते है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों को आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थीगण के मुंतकिल प्रार्थना पत्र को अन्य किसी न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में **विचाराधीन प्रकरण संख्या 63/2023 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व वाद संख्या 89/2023 अन्तर्गत धारा 53–88ए–91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवानी लवप्रीत सिंह बनाम इकबाल सिंह वगै.** को अन्यत्र मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अब उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने कथन किया कि पक्षकारों का

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजीनामा हो गया है, इसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके प्रकरण को निस्तारित नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहते है। परिणामस्वरूप स्वयं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध है, जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी मौजूद है।

हमारा यह मत है कि **न्यायालय में बैठने वाले पीठासीन अधिकारियों के लिए न केवल निष्पक्ष होना आवश्यक है अपितु अपने व्यवहार से भी निष्पक्ष नजर आना आवश्यक होता है ताकि न्याय के इच्छुक पक्षकारान एवं जन साधारण का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे। पीठासीन अधिकारी तब तक ही "न्यायालय" है जब तक कि वादकरण के दोनों पक्षकारान का उसमें विश्वास है। अगर एक भी पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी में अविश्वास व्यक्त कर दिया गया है तो फिर उस प्रकरण विशेष के लिए पीठासीन अधिकारी "न्यायालय" के स्तर को खो चुका होता है।** हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकार वर्तमान पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहते है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरणों को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, नियमानुसार एवं विधिसम्मत् शीघ्र निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावलियां तुरन्त प्रभाव से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2026 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर एवं श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर